

एमओडी (आर्मी) के समेकित मुख्यालय

एडजुटेंट जनरल ब्रांच

मेड सर्विसेज के जनरल (आर्मी)

एल ब्लॉक_नई दिल्ली, 110 001

बी / 76782 / ईसीएचएस नीति / डीजीएमएस -5 बी

मुख्यालय दक्षिणी कमान (मेड)

मुख्यालय पूर्वी कमान (मेड)

मुख्यालय पश्चिमी कमान (मेड)

मुख्यालय केंद्रीय कमान (मेड)

मुख्यालय उत्तरी कमान (मेड)

मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान (मेड)

चिकित्सा के लिए प्रावधान - मिल्क होप में उपचार:

पूर्व सर्विसेमनिमेटल कैसलीटी

1 रेफरी यह मा जनरल लेटर नं बी 176782 / ईसीएचएस नीति / डीजीएमएस-513 दिनांक 07 नवंबर 2012

2. मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक बीओ और उससे अधिक उम्र के पूर्व-सैनिकों को सेवा में हॉस्पिता के प्रवेश में प्राथमिकता दी गई है।

3. इसके बाद भी इसी तरह की प्राथमिकता सभी युद्धों (उनकी आयु के बावजूद) को दी जाएगी। सैन्य अस्पतालों में प्रवेश के लिए, उपलब्धता के अनुसार आवश्यक सुविधाएं और बिस्तरों के लिए प्राथमिकी

4. यह पत्र आपके एओआर में सभी एफएमएन / यूनिट्स को प्रसारित किया जा सकता है

(ए डी माथुर)

मेजर जनरल

ए जी एम एस (आईएस, एच एंड पी एस)

डीजीएमएस (सेना) के लिए